

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला स.20649

=====

1. कल्पना सिंह पुत्री-बिनोद प्रसाद सिंह, निवासी- ग्राम -छोटी रुकनपुरा, डाकघर- बी० भी० कॉलेज, थाना -हवाई अड्डा, जिला-पटना, पिन संख्या- 800014, (बिहार), पंजीकरण संख्या-20200002621
2. चंदन कुमार मधेशिया पुत्र- स्वर्गीय रामजीत मधेशिया निवासी- ग्राम -मुसहरी बाजार, डाकघर-मुसहरी बाजार, थाना -विजयपुर, जिला-गोपालगंज, पिन संख्या-841426 (बिहार), पंजीकरण संख्या 2020004018
3. रोशन राज, पुत्र- गोपाल प्रसाद गुप्ता , निवासी- ग्राम- खरहिया बस्ती, वार्ड संख्या 13, डाकघर और थाना -अरारिया, जिला-अरारिया, पिन कोड- 854311, (बिहार), पंजीकरण संख्या-20200018791
4. राकेश कुमार रोशन, पुत्र- मथुरा रविदास, निवासी- मोहल्ला-लोहारटोल, डाकघर और थाना-इस्लामपुर, जिला-नालंदा, पिन कोड-801303, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 202001242
5. संदीप कुमार सिंह, पुत्र- हरताल सिंह, ग्राम-बारासरी जागीर, डाकघर-बारासरी जागीर, पुलिस स्टेशन-मनियार, जिला-बलिया, पिन कोड-277207, (उत्तर प्रदेश), पंजीकरण संख्या-2020002663
6. भार्ग प्रसाद, पुत्र- डॉ. अरुण कुमार, निवासी- मोहल्ला-मंगलस्थान, डाकघर- बिहारशरीफ, थाना-लाहेरी, जिला-नालंदा, पिन कोड-803216, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020003100

7. अजय कुमार, पुत्र- शिओदानी प्रसाद, निवासी-मोहल्ला-दयाचक, डाकघर और थाना-बाढ जिला-पटना, पिन कोड-803213, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020000551
8. विशाल कांत, पुत्र- स्वर्गीय सर्वेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी- ग्राम- रूपौल, डाकघर- रूपौल, थाना-रूपौल, जिला-पूर्णिया, पिन कोड-854204 (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020006496
9. रोहित सिंह, पुत्र- डॉ. राजेंद्र प्रसाद, निवासी-ग्राम-न्यू सिपारा मतखान, डाकघर-वेलवां, पुलिस स्टेशन-बेतर, जिला-पटना, पिन कोड-800020,(बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020000354
10. स्टुटी कुमारी, पुत्री- सुभाष सरकार, निवासी- एस. बी. कॉलेज, मौलाबाग, आरा, भोजपुर, डाकघर और थाना-नवादा, जिला-भोजपुर, पिन कोड- 802301, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020006312
11. कमलेश कुमार, पुत्र-रघुनाथन सिंह, निवासी-ग्राम-कान्हौली, डाकघर और थाना-खजौली, जिला-मधुबानी, पिन कोड-847228, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020004236
12. प्रियांशु, पुत्री-सीताराम मिस्त्री, निवासी- ग्राम-बहदी बीधा, डाकघर-ओंडा, थाना-सारे, प्रखंड-अस्थावन, उप-मंडल-बिहारशरीफ, जिला-नालंदा, पिन कोड- 803107, (बिहार) पंजीकरण संख्या-2020002884
13. वंदना, पुत्री-पवन कुमार वर्मा, निवासी-ग्राम-मालिनगर, डाकघर-मालिनगर, वाया- पूसा, थाना-चकमेहसी, जिला-समस्तीपुर, पिन कोड-848125, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020001046

14. चंदन कुमार, पुत्र- शंभू शरण सिंह, निवासी-नए क्षेत्र शीतला मंदिर, डेहरी-ऑन-सोन, डाकघर-डालमिया नगर, थाना-डेहरी, जिला-रोहतास, पिन कोड-821305, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020003081
15. बालेश्वर रे, पुत्र- रामनाथ रे, निवासी-ग्राम-गुणराजपुर, डाकघर-जैथार, थाना-तरैया, जिला-सारण, पिन कोड-841417, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020002084
16. सारिका कुमारी मधु, पुत्री-बीनेश कुमार, निवासी- प्रियदर्शी नगर, भागवत मिलन मंदिर के पास, डाकघर-बी. एच. कॉलोनी, भूतनाथ रोड, थाना- अगमकुआँ, जिला पटना, पिन कोड 800026, (बिहार) पंजीकरण संख्या 2020000950
17. प्रियंका कुमारी, पुत्री-अर्जुन सिंह, निवासी- हाऊस संख्या 20, रोड संख्या 2 (विस्तार), राजवंशी नगर, थाना- एल. बी. एस. नगर जिला-पटना, पिन कोड-800023, (बिहार), पंजीकरण संख्या 2020001550
18. मिक्की कुमारी, पुत्री-बाल गंगाधर तिलक शर्मा, निवासी-ग्राम-बिंदा, डाकघर-बिंदा, थाना-मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन कोड-843119. (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020004043
19. मो. दानिश आलम, पुत्र-मो.मोकीमुद्दीन, निवासी-ग्राम-न्यू अरवल, डाकघर-ल, पुलिस स्टेशन- अस्वल, जिला-अस्वल, पिन कोड 804401, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020005485
20. मो. साबिर अंसारी, पुत्र-मो. बरकत अंसारी, निवासी-ग्राम मनसरा, डाकघर-परता, थाना-अंबा, जिला-औरंगाबाद, पिन कोड 824111, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020005630

21. अभिषेक, पुत्र- श्री कृष्ण यादव, निवासी-कॉलोनी-आनंद पथ, भिखाचक, डाकघर-अनीसाबाद, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना, पिन कोड 800002, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020005348
22. राजेश कुमार, पुत्र-राम लोचन शरण, निवासी-गांव-इशाकचक, सर्व मंगला काली के पास , डाकघर और थाना-इशाकचक, जिला-भागलपुर, पिन कोड- 812001, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020002001
23. जंबिश अरवी, पुत्री-शमीम अख्तर, निवासी-खेतारी मोहल्ला, वार्ड संख्या 24, आरा, डाकघर-आरा, थाना-आरा टाउन, जिला-भोजपुर, पिन कोड-802301,(बिहार), पंजीकरण संख्या-2020006040
24. संजय कुमार, पुत्र-राम सागर प्रसाद, निवासी- केकरहा, डाकघर-तोरनी, थाना-शिवसागा, जिला-रोहतास, पिन कोड-821111, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020000206
25. राजीव कुमार रंजन, पुत्र-प्रमोद कुमार दास, निवासी-ग्राम-निवासी-लशकरी, डाकघर-लशकरी, उप-मंडल-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा, पिन कोड-852220, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020002655
26. ओम प्रकाश, पुत्र-सुदामा पासवान, निवासी-ग्राम-छोटकी चेनारी, डाकघर-छोटकी चेनारी, थाना-सिओसागर, जिला-रोहतास, पिन कोड-821113, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020004441
27. शशि आनंद, पुत्र-स्वर्गीय बसंत कुमार सिन्हा, निवासी-आनंद भवन, वार्ड संख्या 11, ग्राम-भौरदाह, डाकघर-भौरदाह, थाना-बहादुरगंज, जिला- किशनगंज, पिन कोड-855101, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020001903

28. पौशन आरा पुत्री-अब्दुल रउफ अंसारी, निवासी-ग्राम-चाहुंटा, डाकघर-खुथान, थाना-हसपुरा, औरंगाबाद, पिन कोड-824120, (बिहार), पंजीकरण संख्या-20200018991
29. कुमारी रेणु, पुत्री-रामपति रविदास, निवासी-ग्राम-जौंथी रोरीडीह, डाकघर-बांके बाजार, थाना-बांके बाजार, जिला-गया, पिन कोड-824217, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020002720
30. चितेंदर सिंह, पुत्र-केदार सिंह, निवासी-ग्राम-सरफराज नगर कुम्हारा, डाकघर-करकैन, थाना-घोश्वरी, वाया-सरमेरा बारह, जिला-पटना, पिन कोड- 803302, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020000925
31. दिव्या कुमारी, पुत्री-त्रिपुरारी शर्मा, निवासी-पूर्व बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, काको रोड, निजामुद्दीनपुर, थाना-जहानाबाद, डाकघर-जहानाबाद, जिला-जहानाबाद, पिन कोड-804417, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020004918
32. अविनाश कुमार, पुत्र-श्री छतीलाल प्रसाद, निवासी-बारी संगत दौलत गंज के पास, छपरा, डाकघर-छापरा, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण, पिन कोड-841301, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020003727
33. वैभव आनंद, पुत्र-सुशील प्रसाद यादव, निवासी-मोहनपुर, वार्ड संख्या-1, पंचायत-बराही, डाकघर-हसनपुर, थाना-मधेपुरा, जिला-मधेपुरा, पिन कोड-852128, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020004383
34. इंद्रजीत कुमार, पुत्र-राम बालक प्रसाद, निवासी-ग्राम-रायपुर, डाकघर-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला-पटना, पिन कोड-803201, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020001212

35. दीपक कुमार, पुत्र-दूध नाथ बैठा, निवासी-नई बस्ती महादेव, मालवीय नगर, श्री रामभवन के पास, डाकघर-सिवान, थाना-ओ. पी. थाना, जिला- सिवान, पिन कोड- 841226, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020002441
36. मनोज कुमार, पुत्र-गणेश प्रसाद यादव के पुत्र, निवासी-ग्राम-तेंगराहा, डाकघर- फुलवरिया, थाना-किशनपुर, जिला-सुपौल, पिन कोड-852105, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020003588
37. कुणाल कुमार कन्नौजिया, पुत्र-स्वर्गीय ईश्वर चंद्र, निवासी-ग्राम-हसनपुर सूरत, डाकघर- पटोरी, थाना-पटोरी, जिला-समस्तीपुर, पिन कोड- 848504, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020001615
38. प्रणव पल्लव, पुत्र-अयोध्या प्रसाद सिंह, निवासी-ग्राम-महाराणा, डाकघर-धरहरा, थाना- धरहरा, जिला-मुंगेर, पिन कोड-811212, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020002182
39. रितेश कुमार, पुत्र-उदय कुमार सिन्हा, निवासी ग्राम-परसा, डाकघर नागवन, थाना- नौबतपुर, जिला-पटना, पिन कोड-801109, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020003944
40. मजहर आमिर, पुत्र-अमीरुद्दीन अंसारी, निवासी-कालिलपुरा फुलवारी शरीफ, डाकघर- फुलवारी शरीफ, थाना-फुलवारी शरीफ, जिला-पटना, पिन कोड-801505, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020001613
41. संजीत कुमार सुधांशु, पुत्र- विजय कुमार सुधांशु, निवासी- खेरमा, वार्ड सं.-01, डाकघर- जमुई, थाना- जमुई, जिला- जमुई, पिन कोड- 811307, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020002808
42. मनीष कुमार, पुत्र-सरवन कुमार, निवासी-ग्राम-करण बीघा, डाकघर-शंकर दिह, थाना- परवलपुर, जिला-नालंदा, पिन कोड-803114, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020001409

43. नीलेश कुमार, पुत्र-कमलेश कुमार, निवासी- सी/ओ-दयानंद प्रसाद मोहल्ला-विष्णुपुरी, बुद्ध सिटी अस्पताल के पास, डाकघर-अनीसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना, पिन कोड-800002, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020003979
44. सुजीत कुमार, पुत्र-उमेश प्रसाद, निवासी-ग्राम-लोहानी बीघा, डाकघर- गोनवान, थाना-नवादा, जिला-नवादा, पिन कोड-805110, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020001574
45. राजीव रंजन, पुत्र-स्वर्गीय परमहंस महतो, निवासी-कुलदीप नगर जटाही पोखरा रोड, डाकघर-संधा, पुलिस स्टेशन-छपरा, जिला-सारण, पिन कोड- 84130, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020003809
46. रणजीत कुमार, पुत्र-स्वर्गीय भोला पासवान, निवासी-घर संख्या-41, चितकोहरा बाजार, डाकघर- अनीसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना, पिन कोड-800002, बिहार, पंजीकरण संख्या-2020000964
47. मिली, पुत्री-जनार्दन प्रसाद साह, निवासी-जी. सी. बनर्जी रोड, भिखनपुर, भागलपुर, डाकघर-मुख्य डाकघर-भागलपुर, थाना-तिलकमंड़ी, जिला-भागलपुर, पिन कोड-812001, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020001533
48. रिचा कुमारी, पुत्री-रवींद्र कुमार जमुआर, निवासी-जामा मस्जिद के सामने, दक्षिण बिहार बैंक के ऊपर, टेकारी (गया), डाकघर-टेकरी, थाना-टेकरी, जिला-गया, पिन कोड-824236, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020000225
49. ऋषिकेश कुमार, पुत्र-अशोक कुमार रॉय, निवासी-सावित्री सदन, ग्राम- तस्दीहा, डाकघर-बलुआचक, थाना-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर, पिन कोड-812005, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020000943

50. मनीषा कुमारी, पुत्र-उमेश प्रसाद साह, निवासी-संग्रामपुर, ब्लॉक रोड के पास, डाकघर-संग्रामपुर, थाना-संग्रामपुर, जिला-मुंगेर, पिन कोड-813212, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020006997
51. सरिता कुमारी, पुत्री-सुरेश प्रसाद, निवासी-मगध कॉलोनी बड़ी फरी, डाकघर-सोहसराय, थाना-सोहसराय, जिला-नालंदा, पिन कोड-803118, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020007269
52. सुधांशु कुमार, पुत्र-किशोर लाल बैठा, निवासी-फ्लैट संख्या 401, निहारिका अपार्टमेंट, शेखपुरा, राजाबाजार, डाकघर-बी. वी. कॉलेज, थाना-शास्त्री नगर, जिला-पटना, पिन कोड-800014, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020004477
53. राजेंद्र कुमार, पुत्र-केदार शर्मा, निवासी-आकाश भवन, ग्राम-लाइन पर मिर्जापुर, डाकघर और थाना-नवादा, जिला-नवादा, पिन कोड-805110, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020007251
54. अंजली कुमारी, पुत्री-रजनीकांत प्रसाद, निवासी-ग्राम-दरघोओं, डाकघर-दावा, थाना-दावथ, जिला-रोहतास, पिन कोड-802204, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020003099
55. कनुप्रिया, पुत्र-बिनोद कुमार दास, निवासी-विशाल अपार्टमेंट फ्लैट संख्या- 10, रामपुर रोड, डाकघर-महेंदू, थाना-बहादुरपुर बाजार समिति, जिला-पटना, पिन कोड-800006, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020004264
56. अंजू, पुत्री-सी.बी.सिंह, निवासी-एम. आई. जी.-1/166, एम. पी. नगर, डाकघर-कोरबा एच. ओ., थाना-रामपुर, जिला-कोरबा, पिन कोड- 495677, (छत्तीसगढ़), पंजीकरण संख्या-2020007017

57. अजित कुमार, पुत्र-बिन्देश्वरी दास, निवासी-उमालया, बाईपास रोड, पुरनदाहा, डाकघर-बी. देवघर, थाना- देवघर, जिला- देवघर, पिन कोड- 814112, (झारखंड) पंजीकरण संख्या- 2020004120
58. प्रवीण कुमार ओझा, पुत्र-लक्ष्मण जी ओझा, निवासी-ग्राम-गौरा, डाकघर-गौरा, थाना-बिहिया, जिला-भोजपुर, पिन कोड-802166, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020004871
59. उजवल कुमार, पुत्र-कमल किशोर चौधरी, निवासी- अलीपुर रोड, ग्राम-जमीरा, डाकघर-जमीरा, थाना-मुफस्सिल (आरा), जिला-भोजपुर, पिन कोड-802161, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020004121
60. निधि सिंह, पुत्री-स्वर्गीय सुनील कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-बिराटपुर, डाकघर-बिराटपुर, थाना-सोनबरसा, जिला-सहारसा, पिन कोड-852217, (बिहार), पंजीकरण संख्या- 2020000064
61. संजीव कुमार, पुत्र-भोगेंद्र यादव, निवासी-ग्राम-खोरिया, डाकघर-चोरौत, थाना-चोरौत, जिला-सीतामढ़ी, पिन कोड-843318, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020002885
62. आनंद प्रकाश सिंह, पुत्र-श्याम नंदन किशोर, निवासी-जियान खुर्द, डाकघर-अल्मादिशनपुर, थाना-करजा, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-843113, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020006620
63. राहुल रंजन, पुत्र- अमरेंद्र मोहन कुमार, निवासी- एस. एस. गर्ल्स सीनियर सेक. स्कूल के दक्षिण, अयोध्या पथ, अंबर, डाकघर-बिहार शरीफ, थाना-बिहार, शहर-बिहार शरीफ, जिला-नालंदा, पिन कोड-803101, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020003178

64. सौरभ विशाल, पुत्र-नवल किशोर सिंह, निवासी-वार्ड संख्या-32, मुक्ति नाथ मंदिर के सामने, रामघालुनगर, मुसहरी, पोरमाना, थाना-काजी मोहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-842002, बिहार, पंजीकरण संख्या 2020001440
65. भगवान भुवन भास्कर, पुत्र-विजय शंकर प्रसाद, निवासी-ग्राम-कुल्हरिया, डाकघर-कुल्हरिया, थाना-कोइलवड़, जिला-भोजपुर, पिन कोड- 802160, बिहार, पंजीकरण संख्या 2020005384
66. गौतम कुमार, पुत्र-मणि भूषण प्रसाद सिंह, निवासी-ग्राम-कोरई, डाकघर-कोरई, वाया-गढ़पुरा, थाना-गढ़पुरा, जिला-बेगुसराय, पिन कोड-848204,(बिहार), पंजीकरण संख्या-2020005689
67. इन्द्र कुमार, पुत्र-काशी प्रसाद, निवासी-ग्राम-उपहर, डाकघर उपहरा, थाना-उपड़ा, जिला-औरंगाबाद, पिन कोड-824203, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020002384
68. अमित कुमार, पुत्र-शंकर रजक, निवासी- सी/ओ निवासी-मुशो पंडित, ग्राम-औंटा (हिस्सातार), डाकघर-मोकामाघाट, थाना-हाथीदाह, जिला-पटना, पिन कोड-803303, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020002957
69. मो. कलीमुद्दीन अंसारी, पुत्र-मनिरुद्दीन अंसारी, ग्राम का निवासी-दमदुमा, डाकघर-लहेरिया सराय, थाना-लहेरियासराय, जिला-दरभंगा, पिन कोड-846001, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020000696.
70. राहुल कुमार, पुत्र-रामविलास प्रसाद सिंह, निवासी-ग्राम-घोसाईठ, डाकघर और थाना-पीरीबाजार, जिला-लखीसराय, पिन कोड-811112, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020003363

71. अभिनंदन कुमार, पुत्र-चुन्नीलाल पासवान, निवासी-बिंद टोली के निवासी, डाकघर-आरा, थाना-मुफसिल, जिला-भोजपुर, पिन कोड-802301, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020006448
72. विकास कुमार, पुत्र-दिनेश रविदास, निवासी-ग्राम-सलैया खुर्द, डाकघर- फतेहपुर, थाना-फतेहपुर, जिला-गया, पिन कोड-824232, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020006137
73. सुनीता कुमारी, पुत्री-जनार्दन कुमार, निवासी-गाँव-मुहम्मदपुर, डाकघर-टेकनेवास, थाना-मुहम्मदपुर, जिला-गोपालगंज, पिन कोड-841423, (बिहार), पंजीकरण संख्या-2020002851
74. संतोष कुमार, पुत्र-राम सिंहासन राम, निवासी-सी. आई. डी. कॉलोनी, सिमलिया, रिंग रोड, डाकघर-रातू, थाना-रातू, जिला-रांची, पिन कोड- 835222, (झारखंड), पंजीकरण संख्या- 2020003543

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. नोडल अधिकारी, शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड, पटना।
5. सचिव, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड, पटना।

.....प्रतिवादी

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तओं के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री संजीत कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए : श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा, ए ए जी-7

=====

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—सेवा कानून—चयन/नियुक्ति—सामान्य प्रशासन विभाग के नीतिगत निर्णय के प्रकाशन से पूर्व नगर प्रबंधकों के पद पर चयन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था; और नीति निर्णय के प्रकाशन से पहले परीक्षा भी ली गई थी—प्रतिवादी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के लिए कोई वैध अथवा ठोस कारण नहीं दिखा पाए—प्रतिवादियों ने संविदा आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई—परिपत्र के प्रकाशन से पूर्व शुरू की गई चयन प्रक्रिया अथवा नीतिगत निर्णय को बाद के परिपत्र द्वारा परिवर्द्ध नहीं किया जा सकता—नगर प्रबंधकों के पदों पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश को अपास्त किया और प्रतिवादियों को अनुबंध के आधार पर चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त करने के निर्देश के साथ अलग रखा जाए—रिट याचिका अनुज्ञात किया गया।

(पैरा 16, 17, 19 और 20)

2015 (4) पी.एल.जे.आर. 708—निर्भर किया गया

(2010) 7 एस.सी.सी. 678; (1993) 1 एस.सी.सी. 154—सुभिन्न किया गया

(1986) 4 एससीसी 268; (1991) 3 एससीसी 47; (2007) 9 एससीसी 497; 2024 (2)

पीएलजेआर 296—संदर्भित किया गया

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी

मौखिक न्यायाधीश

तिथि- 15.05.2024

1. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के आसाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है-

(i) प्रतिवादियों को पत्र संख्या 01/स्था. (सार्वजनिक सं. शिकायत)-01/2021 3321, दिनांक 09.11.2021 प्रस्तुत करने और उसे रद्द करने का निर्देश देने के लिए, जिसके तहत प्रतिवादियों ने विज्ञापन संख्या यू. डी. एंड एच./सी. टी. एम.-2020/01, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 के तहत सिटी मैनेजर के पद पर संपूर्ण रोजगार और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जिसके लिए मेरिट सूची पहले ही जारी की जा चुकी है और काउंसिलिंग भी हो चुकी है, इसलिए संपूर्ण रोजगार और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करना मनमाना और बिना किसी वैध कारण के है, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।

(ii) बिहार सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा जारी दिनांक 12.11.2021 के नोटिस को रद्द करने के लिए, जिसमें यह सूचित किया गया है कि उसने अधिवक्ता के माध्यम से की गई पूरी रोजगार/नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। यू. डी. एंड एच./सी. टी. एम.-2020/01, दिनांक 24 अप्रैल, 2020, अपने पत्र

संख्या 1/ ई. एस. टी. बी. के माध्यम से (सार्वजनिक शिकायत)-01/2021 3321,
दिनांक 09.11.2021

(iii) उत्तरदाताओं को रोजगार और चयन प्रक्रिया के संबंध में निष्कर्ष निकालने का निर्देश देने के लिए बिना किसी देरी के सिटी मैनेजर के पद के लिए उपरोक्त विज्ञापन और बिना किसी देरी के चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करना।

(iv) किसी भी अन्य राहत/राहत के लिए, यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित पाएगा।

2. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने 12 दिसंबर, 2019 के पत्र में निहित संकल्प के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर सिटी मैनेजर के रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन संख्या यू डी एंड एच/ सी टी एम-2020/01, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 जारी किया। उक्त विज्ञापन में कहा गया था कि विभाग के अंतर्गत सिटी मैनेजर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सी बी टी) आयोजित किया जाएगा और परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड को सौंपी गई थी। उक्त विज्ञापन में रु. 40,000/- के समेकित वेतनमान पर संविदा के आधार पर सिटी मैनेजर के 163 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने भुगतान प्रसंस्करण शुल्क आदि के अतिरिक्त 2,200 रुपये की परीक्षा फीस के साथ अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं सहित सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 9 दिसंबर, 2020 को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस टेस्ट

(सी बी टी) आयोजित किया गया था। इसके बाद, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड द्वारा एक मेरिट-लिस्ट तैयार की गई और उसे 25 जनवरी, 2021 को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। बिहार सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग ने भी एक नोटिस जारी कर सभी अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा मेरिट-लिस्ट के प्रकाशन के संबंध में सूचित किया। याचिकाकर्ताओं के नाम मेरिट-लिस्ट में शामिल थे। विभाग ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 9 फरवरी, 2021 से 11 फरवरी, 2021 की तारीख तय की थी। हालाँकि, उस तारीख को कुछ चयनित उम्मीदवार अनुपस्थित थे। इसलिए, विभाग ने उन्हें 24 फरवरी, 2021 को नोटिस जारी करके 2 मार्च, 2021 से 3 मार्च, 2021 के बीच दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होने का एक और अवसर दिया। तदनुसार, सभी याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए विभाग से आवेदन मांगे गए लेकिन विभाग की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। कुछ याचिकाकर्ताओं ने प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार और विभिन्न अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की और अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन प्रतिवादियों ने विज्ञापन के अनुसार सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपकर कोई कार्रवाई नहीं की। अचानक, 12 नवंबर, 2021 को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने बिना कोई कारण बताए बोर्ड द्वारा की गई पूरी नियुक्ति/रोजगार प्रक्रिया को रद्द कर दिया। कुछ याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का कारण जानने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नगर विकास एवं आवास विभाग का विशिष्ट

कार्य अवैध और स्पष्ट रूप से मनमाना है। वे बिना कोई वैध कारण बताए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकते।

3. इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

4. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसे उक्त विभाग के परियोजना पदाधिकारी-सह-उप निदेशक द्वारा विधिवत शपथ पत्र दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह विशिष्ट मामला है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार ने संविदा नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों के संबंध में एक नई नीति जारी की है, जो ज्ञापन संख्या 3/एम-78/2005 जीएडी-1003, दिनांक 22 जनवरी, 2021 में निहित संकल्प के माध्यम से है, जिसमें सरकार यह निर्देश देने की कृपा करती है कि नियमित पद के विरुद्ध सामान्य रूप से कोई संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशों के कंडिका 4(1)(i) में यह प्रावधान है कि बीपीएससी या अन्य आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति करने के लिए चयन प्रक्रिया में विलंब के कारण नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध सामान्य रूप से कोई संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। उक्त पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति असाधारण स्थिति में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद ही की जाएगी। संविदा नियुक्ति के संबंध में बिहार सरकार की उपरोक्त नीति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, उक्त विभाग के अधीन नगर प्रबंधकों के 163 पदों को संविदा पर भरने की स्थिति में नहीं था। अतः विभाग के पास बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद्वारा ली गई उक्त परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

5. याचिकाकर्ताओं ने जवाबी हलफनामे में एक प्रत्युत्तर दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं की जांच 24 अप्रैल, 2020 के एक विज्ञापन के आधार पर की गई थी। इसलिए, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जनवरी, 2021 को जारी ज्ञापन संख्या 3/एम-78/2005 जीएडी-1003 में निहित नीतिगत निर्णय याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि 22 जनवरी, 2021 को उपरोक्त नीतिगत निर्णय के प्रकाशन के बाद भी, बिहार सरकार के तहत विभिन्न विभागों ने अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए। उदाहरण के लिए, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, बिहार सरकार ने अनुबंध के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफरी में नियुक्ति के लिए 30 जून, 2021 को विज्ञापन जारी किया और चयन की प्रक्रिया चल रही है। बिहार सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग के तहत पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण ने अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ कर्मचारी (सर्वेक्षक/अमीन) की नियुक्ति के लिए 18 अगस्त, 2021 को एक विज्ञापन जारी किया। बिक्री कर विभाग ने अनुबंध के आधार पर राज्य कर उच्च आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए 18 जनवरी, 2022 को विज्ञापन जारी किया। इसी तरह महिला और बाल विकास निगम, बिहार सरकार; बिहार राज्य खनन निगम, बिहार सरकार शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार और अन्य विभागों ने भी अपने-अपने विभागों के तहत विभिन्न पदों पर संविदात्मक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में बिहार सरकार के

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जनवरी, 2021 को जारी किए गए प्रस्ताव को लागू नहीं किया।

6. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील श्री वाई. वी. गिरि ने प्रस्तुत किया है कि शहरी विकास और आवास विभाग के तहत नगर प्रबंधकों के पदों के लिए अप्रैल, 2020 के महीने में अनुबंध के आधार पर 163 पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन और बाद की अधिसूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित हुए। उनका चयन योग्यता के आधार पर किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के तहत अनुबंध पर नियुक्त होने की वैध उम्मीद थी। परीक्षा के बाद संबंधित बोर्ड ने परिणाम प्रकाशित किया। इसके बाद विभाग ने याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच की। फिर भर्ती की प्रक्रिया को बाद की अधिसूचना के आधार पर नहीं रोका जा सकता है जिसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

7. यह याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो माननीय सवोच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करता है। **शंकरसन दास बनाम भारत संघ के मामले में, (1991) 3 एस. सी. सी. 47** ने कहा कि नियुक्ति के मामले में, योग्यता सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है, भले ही कोई रिक्ति मौजूद हो। लेकिन रिक्तियों को भरते समय राज्य को ईमानदारी से काम करना होगा न कि मनमाने ढंग से।

8. पी. मोहनन पिल्लई बनाम केरल राज्य और अन्य में, (2007)

9 एस. सी. सी. 497 में प्रतिवेदित, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह

अभिनिर्धारित किया गया है कि नियुक्ति के नियम जो विज्ञापन के समय या रिक्तियां उत्पन्न होने पर प्रचलित थे, उनका पालन किया जाएगा।

9. वर्तमान मामले में, 24 अप्रैल, 2020 के विज्ञापन के आधार पर रिक्तियां घोषित की गई थीं। जनवरी, 2021 के महीने में लिए गए बाद के निर्णय से, याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति के अधिकार को रद्द नहीं किया जा सकता है। पैनल में सूचीबद्ध उम्मीदवारों को नियुक्त होने का अधिकार है। यह सिद्धांत इस न्यायालय के हाल के निर्णय में **बिनोद कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2024(2) पीएलजेआर 296** में रिपोर्ट किया गया है।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि शहरी विकास और आवास विभाग ने उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के कारण संविदात्मक नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं की चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिया कि आम तौर पर मूल रिक्ति के खिलाफ कोई संविदात्मक नियुक्ति नहीं की जाएगी और यदि किसी विशेष आधार के तहत ऐसी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर करने की आवश्यकता है, तो राज्य मंत्रिमंडल का अनुसमर्थन बिल्कुल आवश्यक है।

11. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक निर्णयों के साथ तत्काल रिट याचिका, जवाबी हलफनामा, प्रत्युत्तर और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों के सावधानीपूर्वक

अवलोकन पर, यह शुरू में दर्ज किया जाता है कि इस मुद्दे पर कानून अब एकीकृत नहीं है कि जबकि अधिकारियों को चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है, इस अधिकार का प्रयोग वैध कारणों से किया जाना चाहिए और यह मनमाना नहीं हो सकता है। रद्द करने के लिए किसी भी औचित्य की कमी के कारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्णय मनमाना था और इस प्रकार इसे दरकिनार कर दिया गया।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (1986) 4 एससीसी 268** में, पहली बार यह सिद्धांत निर्धारित किया था कि चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सरकार के लिए यह खुला होगा कि वह वैध कारण से सभी रिक्तियों को न भरे।

13. **शंकरसन दाश (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं, तो सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से सद्भावपूर्वक लिया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 7 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से टिप्पणी की गई है:-

"7. आम तौर पर अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए होती है और उनके चयन पर उन्हें पद पर कोई अधिकार नहीं मिलता है। जब तक प्रासंगिक भर्ती नियम ऐसा संकेत नहीं देते, राज्य सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को मनमाने तरीके से काम करने का लाइसेंस है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से

सद्भावपूर्वक लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरी जाती है, तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

14. राज्य सरकार इस आधार पर चयन प्रक्रिया रद्द कर सकती है कि साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर कम योग्य उम्मीदवार वस्तुतः सूची में सबसे ऊपर थे और चयन बोर्ड के सदस्यों ने साक्षात्कार में दिए गए अंकों का उपयोग योग्य उम्मीदवारों को बाहर करने के लिए किया है। यह दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाम दिलबाग सिंह एवं अन्य (1993) 1 एससीसी 154 में लिया गया था।

15. ईस्ट कोस्ट रेलवे और ए. एन. आर. बनाम महादेव अप्पा राव और अन्य, (2010) 7 एस. सी. सी. 678 में सूचित, माननीय उच्चतम न्यायालय ने चयन प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश की कार्यवाही से पहले प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह मुख्य-प्रकार के पद के लिए चयन प्रक्रिया का मामला था और यह आरोप लगाया गया था कि कुछ असफल उम्मीदवारों को दोषपूर्ण प्रकार की लेखन मशीनें प्रदान की गई थीं, जिससे उन्हें सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों के मुकाबले नुकसान हुआ था।

16. वर्तमान मामले में राज्य प्राधिकारियों के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने इस आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जनवरी, 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी कि सामान्य रूप से रिक्त स्वीकृत पदों को संविदा नियुक्ति

द्वारा भरा जाना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया 24 अप्रैल, 2020 से शुरू हुई थी। 9 दिसंबर, 2020 को परीक्षा ली गई और 25 जनवरी, 2021 को मेरिट-लिस्ट प्रकाशित की गई। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि नियुक्ति या चयन आदि के संबंध में कोई भी परिपत्र भावी प्रभाव रखेगा। ऐसे परिपत्र या नीतिगत निर्णय के प्रकाशन से पहले शुरू की गई चयन प्रक्रिया को बाद के परिपत्र द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद बैंक और अन्य बनाम प्रशांतचंद्र झा एवं अन्य, 2015 में रिपोर्ट किया गया (4) पीएलजेआर 708 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस बिंदु पर एक संदर्भ है।

17. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मुझे लगता है कि 163 सिटी मैनेजर के पद पर चयन के लिए विज्ञापन सामान्य प्रशासन विभाग के नीतिगत निर्णय के प्रकाशन से पहले प्रकाशित किया गया था, दिनांक 21 जनवरी, 2021। उक्त नीतिगत निर्णय से पहले परीक्षा ली गई थी। परिणाम 22 जनवरी, 2021 के केवल 3 दिन बाद प्रकाशित किया गया था। राज्य सरकार और विशेष रूप से प्रतिवादी ऐसी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के लिए कोई वैध या ठोस कारण दिखाने में विफल रहे।

18. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना की अनुमति है।

19. शहरी विकास आवास विभाग के तहत नगर प्रबंधकों के 163 पदों पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश पत्र संख्या 1/ई. एस. टी. बी. के माध्यम से (सार्वजनिक शिकायत)-01/2021 3321, दिनांकित 09.11.2021 और नोटिस, दिनांकित 12.11.2021 को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

20. इस प्रकार, तत्काल रिट याचिका ने प्रतियोगिता की अनुमति दी।

21. हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(बिबेक चौधरी, न्यायाधीश)

एसकेएम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।